रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072023-247228 CG-DL-E-11072023-247228

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394] No. 394] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 11, 2023/आषाढ़ 20, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 11, 2023/ASHADHA 20, 1945

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 493(अ).—सहायता प्राप्त जननीय प्रोद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 42) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार सहायता प्राप्त जननीय प्रोद्योगिकी (विनियमन) नियम 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है-

- 1. (1) इन नियमों को सहायता प्राप्त जननीय प्रोद्योगिकी (विनियमन) संशोधन नियम 2023 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. सहायता प्राप्त जननीय प्रोद्योगिकी (विनियमन) नियम, 2022 में, अनुसूची 1 के भाग 1 में पैरा क की उप-धारा (ग) (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: –

"एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजी में एमसीएच/डीएनबी या एमएस जनरल सर्जरी या प्रजनन चिकित्सा में एफएनबी/एमसीएच/डीएम के साथ न्यूनतम 2 वर्ष काअनुभव और न्यूनतम 15 सर्जिकल शुक्राणु पुनर्प्राप्ति (अर्थात् पीईएसए/टीईएसए/टीईएसई/एमईएसए/माइक्रोटेसी प्रक्रियाएं) का व्यावहारिक अनुभवी होगा।"

[फा. सं. यू. 11019/14/2022 एचआर] अन् नागर, संयुक्त सचिव

4425 GI/2023 (1)

टिप्पणः सहायता प्राप्त जननीय प्रोद्योगिकी (विनियमन) नियम, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 07 जून 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 419 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में दिनांक 10 अक्टूबर 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 771(अ), और दिनांक 24 फरवरी 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 179 (अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2023

- **G.S.R. 493(E).**—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 (42 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Rules, 2022, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Amendment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Rules, 2022, sub-section (c) (ii) of Para A in Part 1 of Schedule 1 shall be substituted as under:—

"The Andrologist shall be MCh/DNB in urology or MS General Surgery or FNB/MCh/DM in reproductive medicine with minimum 2 years experience and having hands-on experience of minimum 15 surgical sperm retrieval (namely PESA / TESA / MESA / MICROTESE procedures)."

[F. No. U.11019/14/2022-HR] ANU NAGAR, Jt. Secy.

Note: The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Rules, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide notification number G.S.R.419 (E), dated the 7th June, 2022 and subsequently amended vide notification number G.S.R.771 (E), dated the 10th October, 2022 and vide G.S.R.126 (E), dated the 24th February, 2023.